न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	44/2023
दायर दिनांक	:	04.08.2023
निर्णय दिनांक	:	11.06.2025

1. किशनलाल पुत्र हट्या जाति ब्राह्मण, निवासी गोठडा तहसील दौसा जिला दौसा
2. गोपाल पुत्र हट्या जाति ब्राह्मण, निवासी गोठडा तहसील दौसा जिला दौसा
3. मुरारी पुत्र हट्या जाति ब्राह्मण, निवासी गोठडा तहसील दौसा जिला दौसा
4. भगवती पुत्री हट्या जाति ब्राह्मण, निवासी गोठडा तहसील दौसा जिला दौसा
5. रामफूल पुत्र भौरीलाल जाति मीना, निवासी गोठडा तहसील दौसा जिला दौसा
6. श्रवण पुत्र भौरीलाल जाति मीना, निवासी ग्राम गोठडा तहसील दौसा जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भाण्डारेज
2. नायब तहसीलदार भाण्डारेज
3. गिर्राजप्रसाद शर्मा पुत्र कल्याणसहाय शर्मा जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम गोठडा तहसील दौसा

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1315, 1316, 1317, 1318 वाके ग्राम गोठडा में स्थित है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजी के खातेदार काबिज काश्तकार दर्ज हैं एवं प्रार्थीगण मौके पर काबिज होकर लाभान्वित होते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजीयात से लगती हुयी अप्रार्थी संख्या 3 पडौसी खातेदार की खातेदारी भूमि है, जो अपनी खातेदारी भूमि की आड में प्रार्थीगण से सीमा विवाद कर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारी व कब्जे की भूमि को दबाना चाहता है। दिनांक 14.06.2023 को हल्का पटवारी ने मौके पर जाकर उक्त आराजी का सीमाज्ञान किया व उक्त आराजी की सीमाएँ कायम कर चारों सीमाओं की जानकारी करवायी व मौका पर्चा तैयार कर वहाँ उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये किन्तु इसके बावजूद भी पडौसी खातेदार अप्रार्थी [illegible] 3 उक्त सीमाज्ञान को नहीं मान रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन [illegible] प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को आदेश फरमा[illegible] कि वह आराजी खसरा नम्बर 1315, 1316, 1317, 1318 वाके ग्राम गोठडा का मौके [illegible] मय टीम गठित कर जरिए पुलिस इमदाद उक्त किये गये सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी कर सीमाएँ कायम फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:43:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

प्रकरण संख्या : 44/2023
किशनलाल वगै॰ बनाम राज॰ सरकार वगै॰
निर्णय दिनांक : 11.06.2025

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद कुमार विजय ने पावर पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की तामील मानी गयी।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी ने अपना प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। खसरा नम्बर 1315 लगायत 1318 के पडौसी खसरा नम्बर 1322, 1323, 1319, 1321, 1314, 1308 हैं, जिनके खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी के नाम उक्त भूमि की सेटलमेन्ट ने गलत इन्द्राज करके गलत खातेदारी अंकित की है एवं नक्शा ट्रेस गलत बनाया है, जिसके लिए साक्ष्य का अवसर दिया जाना जरूरी है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि में से काफी भू–भाग पर कब्जा नहीं है बल्कि प्रत्युत्तरदाता व अन्य पडौसियों का कब्जा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करें। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से तहसीलदार भाण्डारेज ने जवाव प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रश्नगत आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान हो चुका है।

प्रकरण में वहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। मुताबिक जवाव तहसीलदार भाण्डारेज प्रश्नगत आराजी की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने की पुष्टि होती है। तहसीलदार भाण्डारेज के जवाब से इस तथ्य की पुष्टि भी होती है कि प्रश्नगत आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। अप्रार्थी संख्या 3 का यह कथन है कि प्रश्नगत आराजी के पडौसी खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नहीं वनाया गया है किन्तु प्रश्नगत आराजी के पडौसी खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नहीं वनाये जाने के संवंध में भूमिधारी तहसीलदार भाण्डारेज की ओर से अपने जवाब में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। अप्रार्थी संख्या 3 का यह कथन है कि प्रश्नगत आराजी का सेटलमेन्ट ने गलत नक्शा बनाया है, यदि वास्तव में प्रश्नगत आराजी का सेटलमेन्ट विभाग द्वारा गलत नक्शा वनाया गया है तो इस संबंध में अप्रार्थी संख्या 3 या प्रभावित पक्षकार सक्षम न्यायालय के समक्ष पृथक् से वाद लाकर वांछित अनुतोष प्राप्त करें। निष्कर्षतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार भाण्डारेज को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम गोठडा तहसील भाण्डारेज स्थित भूमि खसरा नम्बर 1315, 1316, 1317, 1318 का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कव्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस इमदाद की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार भाण्डारेज को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:43:41 IST
Reason: SelfAttested

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)